

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/133/2018

प्रवेश तिथि
03-07-2018

निर्णय दिनांक
08-08-2018

01- आरेजात पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी सहजपुर तहसील रामगढ, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ
दिनांक 14.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 51/2018

उपस्थित:-

01-श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

-वकील अपीलान्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 14.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सहजपुर की सरकारी चारागाह भूमी आराजी खसरा नम्बर 881 रकबा 7.09 है०, में से 0.50 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ आराजा का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सहजपुर की सरकारी चारागाह भूमी आराजी खसरा नम्बर 881 रकबा 7.09 है० में से 0.50 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 14.02.2018 के विरुद्ध दिनांक 03.07.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपीलान्ट मियाद शुमार को जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 02.08.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का नगली मेघा द्वार भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि वह भौतिक परीक्षण कर एवं यदि अतिक्रमण पाया जाता है अथवा अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरुद्ध एल अर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फाँसल सुनाये जावे। पत्रावली को काम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08-08-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओपीओजेन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)